24/06/2021

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए–5(51) कार्मिक/ क–2 /88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **कनिष्ठ सहायक के कुल 52** अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर पदस्थापन हेतु जिला आवंटन हेतु अभ्यर्थी विकल्प पत्र दिनांक 01.07.2021 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। **चश्रेक पद के** 11 अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलो में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है :–

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तो की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–।।/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम–5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम–2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हे ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।

21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ–पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

22. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न उपरोक्तानुसार (सूची)

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2021 दिनांक : 24.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, ...संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)................................... को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक के एवं चश्रेक के कुल प्रकरण) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
7. श्री...को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) .... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
10. रक्षित पत्रावली ।

सहायक निदेशक(प्रशासन),

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए–4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक 24.06.2024 के तहत 52 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किए गए हैं। जिला आवंटन हेतु अभ्यर्थी विकल्प पत्र हेतु दिनांक01.07.24को व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/–रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	संबंधित जिला
1	आदित्य व्यास सी.सै. 25.12.2002	पुत्र	08.06.2021 कनिष्ठ सहायक	गोवर्धन कुमार व्यास अध्यापक	08.05.21	बीकानेर
2	रवि चारण सी.सै. 13.06.2001	पुत्र	23.10.2020 कनिष्ठ सहायक	हिम्मतसिह उज्जवल शाशि प्राशि	07.09.20	बीकानेर
3	योगराज सिंह सी.सै. 09.07.1995	पुत्र	28.08.2017 कनिष्ठ सहायक	भगवान सिंह शेखावत हैड कानि0(क–2)	20.07.17	बीकानेर
4	रवि चौधरी बीकॉम 09.07.1994	पति	07.12.2020 कनिष्ठ सहायक	मोनिका अध्यापक प्राशि	16.11.20	बीकानेर
5	रोहन बिश्नोई बीए 02.08.1998	पुत्र	07.11.2016 कनिष्ठ सहायक	सत्यपाल बिश्नोई अध्यापक पंराज	14.09.05	श्रीगंगानगर
6	रूपेन्द्र कुमार सी.सै. 02.06.1998	पुत्र	19.03.2018 कनिष्ठ सहायक	रामनारायण अध्यापक पंराज	22.12.12	श्रीगंगानगर
7	केशरसिंह सी.सै. 01.07.1984	पुत्र	22.03.2019 कनिष्ठ सहायक	रघुनाथ सिंह चश्रेक पंराज	30.01.19	सीकर
8	मनीष कुमार सै. पो.डि. 06.08.1998	पुत्र	18.05.2020 कनिष्ठ सहायक	ललिता देवी अध्यापक प्राशि	09.03.20	सीकर
9	तारा देवी जाट सी.सै. 02.01.1994	पत्नी	28.09.2020 कनिष्ठ सहायक	भानाराम जाट अध्यापक पंराज	18.08.20	जयपुर
10	सिद्धार्थ मीना सी.सै. 13.11.1999	पुत्र	11.09.2020 कनिष्ठ सहायक	रत्तीराम मीना अध्यापक पंराज	06.10.06	दौसा
11	सुनैना बैरवा सी.सै. 02.02.2000	पुत्री	19.02.2020 कनिष्ठ सहायक	घनश्याम बैरवा अध्यापक पंराज	02.09.03	दौसा
12	राजपाल गुर्जर सी.सै. 10.04.2000	पुत्र	06.07.2020 कनिष्ठ सहायक	गंगाराम गुर्जर अध्यापक	24.05.20	अलवर
13	राजेश मीना सी.सै. 31.07.2001	पुत्र	24.04.2020 कनिष्ठ सहायक	घीसालाल मीणा प्रबोधक पंराज	30.01.20	अलवर
14	सुनिता देवी जैन बीए 05.06.1983	पत्नी	20.05.2020 कनिष्ठ सहायक	सत्येन्द्र कुमार जैन अध्यापक प्राशि	11.04.20	अलवर
15	अभिषेक सिंह सी.सै. 24.09.2002	पुत्र	12.01.2021 कनिष्ठ सहायक	रतनसिंह शाशि प्राशि	08.12.20	जोधपुर
16	किशनलाल सी.सै. 10.10.2000	पुत्र	29.01.2021 कनिष्ठ सहायक	लालाराम बागराणा अध्यापक प्राशि	13.12.20	जोधपुर
17	महेश गोदारा एमए 26.03.1983	पुत्र	11.02.2021 कनिष्ठ सहायक	चौखाराम गोदारा व्याख्याता	06.12.20	बाड़मेर
18	नरेन्द्र कुमार एमए 30.06.1985	पुत्र	22.01.2021 कनिष्ठ सहायक	मांगीलाल सोनी अध्यापक	09.12.20	जैसलमेर
19	भूपेन्द्र सिंह एमए 07.08.1995	पुत्र	08.07.2020 कनिष्ठ सहायक	रूकमा अध्यापक पंराज	17.06.20	बाड़मेर

20	हेतुसिह सी.सै. 15.08.1999	पुत्र	19.09.2019 कनिष्ठ सहायक	रिड़मलसिह चश्रेक प्राशि	29.10.01	बाड़मेर
21	किरण कुमारी बीए 10.01.1999	पुत्री	04.12.2020 कनिष्ठ सहायक	शेषाराम मेघवाल अध्यापक प्राशि	26.10.20	पाली
22	पारसमल सी.सै. 15.06.1997	पुत्र	11.02.2021 कनिष्ठ सहायक	फालूबाई चश्रेक	08.01.21	सिरोही
23	बसराज चोधरी सी.सै. 22.09.1990	पुत्र	08.10.2015 कनिष्ठ सहायक	शिवकरण जाट अध्यापक प्राशि	15.09.15	अजमेर
24	अरविन्द जेतवाल सी.सै. 26.01.1998	पुत्र	16.12.2020 कनिष्ठ सहायक	नन्दलाल जेतवाल शाशि प्राशि	14.11.20	अजमेर
25	योगेश्वर बैरवा बीए 21.11.1998	पुत्र	12.06.2020 कनिष्ठ सहायक	सूरजकरण बैरवा अध्यापक प्राशि	16.03.20	अजमेर
26	भरतसिंह बीए 19.05.1977	पुत्र	05.08.2014 कनिष्ठ सहायक	संग्रामसिंह व.अ. प्राशि	22.11.12	अजमेर
27	दिव्यांशु सी.सै. 07.08.2002	पुत्र	13.10.2020 कनिष्ठ सहायक	प्रभुराम प्रबोधक पंराज	02.09.20	नागौर
28	दिनेश कुमार सी.सै. 21.08.2001	पुत्र	14.08.2020 कनिष्ठ सहायक	सुखाराम अध्यापक प्राशि	10.07.20	नागौर
29	सुनीता सी.सै. 01.01.1981	पत्नी	28.09.2017 कनिष्ठ सहायक	मुकेश कुमार शर्मा अध्यापक प्राशि	08.10.17	नागौर
30	कमलेश कुमार ढोली बीए 04.08.1995	पुत्र	25.09.2020 कनिष्ठ सहायक	रामप्रसाद भांड अध्यापक प्राशि	03.07.20	भीलवाड़ा
31	नबीला सय्यद सी.सै. 28.09.1999	पुत्री	04.01.2021 कनिष्ठ सहायक	मोहम्मद लियाकत अली [illegible]	01.11.20	टोंक
32	कृष्ण कान्त मीना सी.सै. 23.07.2001	पुत्र	22.06.2020 कनिष्ठ सहायक	लालचन्द मीना अध्यापक प्राशि	03.05.16	टोंक
33	प्रमिला कुमारी पांचाल एमए 11.06.1981	पत्नी	17.12.2020 कनिष्ठ सहायक	लोकेश कुमार अध्यापक प्राशि	22.11.20	कोटा
34	मनीषा मीणा सी.सै. 11.11.1999	पुत्री	27.01.2020 कनिष्ठ सहायक	श्याम लाल मीणा अध्यापक पंराज	31.07.15	कोटा
35	नोशीन सी.सै. 24.09.2002	पुत्री	14.10.2020 कनिष्ठ सहायक	रशीद अहमद प्रबोधक पंराज	30.08.20	कोटा
36	हिमांशु आलोरिया सी.सै. 15.12.2000	पुत्र	11.06.2019 कनिष्ठ सहायक	धर्मवीर आलोरिया अध्यापक पंराज	12.06.15	बूंदी
37	नीरज शाक्यवाल बीए 20.02.1998	पुत्र	04.11.2019 कनिष्ठ सहायक	रमेश चन्द शाक्यवाल अध्यापक प्राशि	12.09.19	बारां
38	पियुष सिंघल सी.सै. 14.02.1998	पुत्र	09.06.2015 कनिष्ठ सहायक	मधु गर्ग अध्यापक पंराज	01.05.15	बारां
39	सलमान मंसूरी सी.सै. 19.07.1999	पुत्र	02.01.2021 कनिष्ठ सहायक	शरीफ मोहम्मद मंसूरी अध्यापक प्राशि	07.12.20	झालावाड़
40	अभिषेक भगोरा बीए 11.10.1997	पुत्र	26.02.2020 कनिष्ठ सहायक	ललिता सोलविया अध्यापक पंराज	25.01.20	उदयपुर
41	दीपक कुमार शर्मा सी.सै. 01.05.1999	पुत्र	10.08.2020 कनिष्ठ सहायक	नारायण लाल शर्मा शाशि प्राशि	08.06.20	उदयपुर
42	पुष्पेन्द्र पंचाली सी.सै. 22.05.2002	पुत्र	01.12.2020 कनिष्ठ सहायक	हिम्मत लाल पंचोली प्रबोधक पंराज	26.10.20	राजसमन्द
43	गोविन्द सिंह सिसोदिया बीए 22.08.1999	पुत्र	02.01.2021 कनिष्ठ सहायक	हरिसिंह सिसोदिया प्रबोधक पंराज	27.11.20	राजसमन्द

44	चंचल माण्डावत बीए 30.07.1985	पत्नी	04.11.2020 कनिष्ठ सहायक	महावीर कुमार पामेचा शाशि प्राशि	23.10.20	प्रतापगढ़
45	गौरव सौगण सी.सै. 18.04.2001	पुत्र	11.07.2019 कनिष्ठ सहायक	ओमप्रकाश बलाई व.अ. प्राशि	30.12.10	चित्तौडगढ़
46	करण सिह मीणा सी.सै. 14 11.2000	पुत्र	31.08.2020 कनिष्ठ सहायक	जीवण सिंह मीणा अध्यापक पंराज	20.06.20	चित्तौडगढ़
47	कौशल अजमेरा बीकॉम 22.05.1996	पुत्र	07.10.2020 कनिष्ठ सहायक	गोपाल लाल अजमेरा व.अ. प्राशि	19.09.20	चित्तौडगढ़
48	भुवनेश्वरी सेवक सी.सै. 15.12.2001	पुत्री	24.10.2019 कनिष्ठ सहायक	दिनेश चन्द्र सेवक चश्रेक (क–2)	03.10.19	बांसवाड़ा
49	हिमांशु कलाल सी.सै. 09.05.1999	पुत्र	06.08.2019 कनिष्ठ सहायक	सुभाष चन्द्र कलाल अध्यापक प्राशि	21.09.99	बांसवाड़ा
50	प्रदीप पाटीदार बीए 10.07.1994	पुत्र	10.11.2017 कनिष्ठ सहायक	बीरबल पाटीदार शाशि प्राशि	07.03.09	बांसवाड़ा
51	वैभव कुमार पंचोली एमए 10.06.1984	पुत्र	12.10.2020 कनिष्ठ सहायक	कोकिला जैन अध्यापक पंराज	26.08.20	बांसवाड़ा
52	नीता डामोर सी.सै. 13.03.1985	पत्नी	24.12.2020 कनिष्ठ सहायक	हीरालाल रावत अध्यापक पंराज	24.10.20	बांसवाड़ा

नोटः– क्र.सं. 05, 06, 10, 11, 20, 26, 32, 34, 36, 45, 49 एवं 50 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य साप्र/ए–4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक 24.06.2021

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

उक्त अभ्यर्थीयों द्वारा वांछित जिला चाहा गया जिनमें पद रिक्त नही होने के कारण संबंधित जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अभ्यर्थी को दिनांक 01.07.21 को निदेशालय व्यक्तिशः उपस्थित होकर जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से सूचित करे।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए–4/ 3901/ नियुक्ति मूल/2021/ दिनांक 25.06.21 के तहत 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :– (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/–रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
1	रामसिंह यादव आठवी 20.07.1978	पति	11.02.2020 चश्रेक	विमला यादव अध्यापक पंराज	14.01.20	सीकर
2	विद्या मीणा आठवी 08.07.1988	पत्नी	01.10.2020 चश्रेक	रामधन अध्यापक प्राशि	14.08.20	झुंझुनूं
3	हितेन्द्र कुमार सांगेला आठवी 28.03.1999	पुत्र	24.12.2020 चश्रेक	नन्दकिशोर चश्रेक प्राशि	27.10.20	अजमेर
4	संतोष कंवर सैकेण्डरी 08.08.1977	पत्नी	28.03.2018 चश्रेक	दुर्गासिह राठौड़ अध्यापक प्राशि	29.01.18	अजमेर
5	आशा बाई सोनी नौवी 07.12.1979	पत्नी	06.02.2014 चश्रेक	सूरजमल स्वर्णकार अध्यापक पंराज	16.06.13	करौली
6	हेमलता पांचवी 01.01.1982	पत्नी	08.10.2020 चश्रेक	प्रमेन्द्र बैरवा अध्यापक प्राशि	13.09.20	कोटा
7	प्रमोद कुमार सालवी नौवी 01.12.1981	पुत्र	09.07.2020 चश्रेक	बाबूलाल सालवी शाशि प्राशि	30.05.20	बारां
8	सुरेश चन्द्र भील सैकेण्डरी 26.09.1994	पुत्र	07.03.2020 चश्रेक	भगवान लाल गमेती अध्यापक पंराज	26.01.20	उदयपुर
9	ममता मेघवाल नौवी 02.05.1998	पुत्री	10.05.2017 चश्रेक	कैलाश चन्द्र मेघवाल चश्रेक प्राशि	10.05.09	चित्तौड़गढ़
10	मीनाक्षी सैकेण्डरी 24.03.1983	पत्नी	18.10.2018 चश्रेक	आनन्द कटारा व.अ.	22.09.18	बांसवाड़ा
11	दुर्गा कुमारी आठवी 15.11.1978	पत्नी	12.02.2021 चश्रेक	बदामी लाल राणा अध्यापक पंराज	07.01.21	बांसवाड़ा

नोट :–क्र.सं. 01, 05 एवं 09 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांच्छित शिथिलन प्राप्त हैं।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर